न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 14/2023 स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र

1. गोपी देवी पुत्री महादेव पत्नि मूलचन्द जाति मीना निवासी प्यारीवास हाल निवासी राजपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
2. कमला देवी पुत्री महादेव पत्नि रामेश्वर जाति मीना निवासी प्यारीवास हाल निवासी कालीखाड तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री रामावतार मीना उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान
2. गिर्राज पुत्र राधेश्याम
3. दिनेश कुमार पुत्र राधेश्याम
4. रामदयाल पुत्र राधेश्याम
5. राभजन पुत्र राधेश्याम
6. राजू पुत्री राधेश्याम
7. सुनीता पुत्री राधेश्याम
8. अनिता पुत्री राधेश्याम
9. सरोज पुत्री राधेश्याम
   समस्त जाति मीना निवासी प्यारीवास तहसील नांगल राजावतान
10. जगदीशनारायण पुत्र जयनारायण जाति मीना निवासी हीरापुरा लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर
11. छोटा पत्नि मोतीलाल जाति मीना निवासी हीरापुरा लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर
12. मन्नालाल पुत्र मोतीलाल जाति मीना निवासी हीरापुरा लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर
13. कैलाश पुत्र मोतीलाल जाति मीना निवासी हीरापुरा लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर
14. भवानीसिंह पुत्र पाण्डुराम जाति मीना निवासी नयागांव तहसील गंगापुर जिला सवाई माधोपुर
15. ज्याना पत्नि रामचन्द्र जाति मीना निवासी कालारामा की ढाणी, नांगल राजावतान
16. रामखिलाडी पुत्र गंगाधर जाति मीना निवासी टोडा(नयावास) तहसील राहुवास जिला दौसा
17. गिर्राज प्रसाद पुत्र रणजीत जाति मीना निवासी रामसिंहपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
18. विमला पत्नि सोमप्रकाश जाति स्वामी निवासी प्यारीवास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
19. रामप्रसाद पुत्र रामप्रताप जाति मीना नि[illegible] की ढाणी चांदपुर तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
20. यूको बैंक शाखा लाहडी का[illegible] राजावतान जरिये शाखा प्रबंधक
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा

अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:54:39 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 233 आर.टी.ए. विरूद्ध उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान बाबत उनवानी गोपी देवी बनाम गिर्राज दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.2.2023 नियत है।

....निरन्तर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

उपस्थिति:– 1. श्री विनोद कुमार विजय , अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता।

: निणर्य : दिनांक 31.5.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र मिसल स्थानान्तरण के तथ्य इस प्रकार है कि एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 233 आ.टी.ए. एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी गोपी देवी बनाम गिर्राज वगैरह का अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान में पेश कर रखा है। उक्त वाद को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करवाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक वाद उनवानी गोपी बनाम गिर्राज का अधिघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाके ग्राम प्यारीवास में स्थित भूमि खसरा नंबर 196 रकबा 0.49 है० खसरा नंबर 197 रकबा 0.46 है0 खसरा नंबर 198 रकबा 1.37 है०, खसरा नंबर 201 रकबा 0.05 है०, खसरा नंबर 228 रकबा 0.74 है० खसरा नंबर 229 रकबा 0.51 है०, खसरा नंबर 269 रकबा 0.10 है०, खसरा नंबर 272 रकबा 0.53 है० खसरा नंबर 368 रकबा 0.70 है0 खसरा नंबर 369 रकबा 0.63 है० खसरा नंबर 371 रकबा 0.45 है० खसरा नंबर 383 रकबा 0.29 है०, खसरा नंबर 445 रकबा 2.60 है० खसरा नंबर 454 रकबा 241 है० कुल किता 14 कुल रकबा 11.33 है0 बाबत एक दावा बाबत अधिघोषणा तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उप जिला कलेक्टर महोदय नांगल राजावतान के समक्ष पेश किया जो विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.02.2023 नियत है। अप्रार्थी सं. 2 से 19 राजनैतिक पहुच वाले व्यक्ति है। उपखण्ड अधिकारी महोदय नांगल राजावतान सभी प्रकरणो में लंबी तारीख पेशियां देते है, परन्तु उक्त वाद से संबंधित पत्रावली में दो दिवस की तारीख पेशी दी गई है। उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा नजदीक नजदीक पेशी तारीख देना उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान व अप्रार्थीगण से मिलीभगत होना जाहिर होता है।यह निश्चित करता है कि अप्रार्थीगण उक्त प्रकरण का उप जिला कलक्टर महोदय से मिलकर शीघ्र ही अपने पक्ष में फैसला करवाने पर आमादा हैं। प्रार्थी को उक्त दावा में उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान से न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिये दावा उद्घोषणा तकास्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी पत्रावली उनवानी गोपी बनाम गिर्राज को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में दलील दी कि प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में देरीना करने की गर्ज से यह स्थानान्तरण प्रा.पत्र पेश किया गया है। स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य बिना किसी सबूत के तथ्यहीन, मनगढन्त व बेबुनियाद है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान से टिप्पणी तलब की गई जिसमें अंकित किया है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण याचिका के कथनों से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस करने में विलंब करना चाहते है तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा में बहस नहीं करके प्रकरण में देरीना करने की गरज से यह स्थानान्तरण याचिका प्रस्तुत की गई है। प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण याचिका में अंकित कथन बिना किसी सबूत के, तथ्यहीन एवं बेबुनियाद है। प्रार्थीगण को न्यायालय उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान से न्याय की उम्मीद नहीं होना बताया है। उक्त प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने में काई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।

....निरन्तर उपर

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:54:39 IST
Reason: SelfAttested

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण व राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया जिसके द्वारा प्रकरण को दीगर सक्षम न्यायालय को स्थानान्तरण किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है। अधिवक्ता प्रार्थिनी की ओर से प्रकरण को अन्य न्यायालय को स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में कोई औचित्यपूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। अपितु प्रार्थिनी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं होने से हम न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण उपखंड अधिकारी दौसा को स्थानान्तरित किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। न्यायालय उपखड अधिकारी नांगल राजावतान में विचाराधीन उनवानी वाद गोपी बनाम गिर्राज को न्यायालय उपखंड अधिकारी दौसा को स्थानान्तरित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान को निर्देश दिये जाते हैं कि उनवानी प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा को स्थानान्तरित कर पालना रिपोर्ट भिजवावें। निर्णय की एक प्रति न्यायालय उपखंड अधिकारी दौसा को भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 31 मई, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:54:39 IST
Reason: SelfAttested